मध्यप्रदेश शासन
आदिम जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 3–1/2015/25–2   भोपाल, दिनांक

प्रति,

आयुक्त,
आदिवासी विकास, म0प्र0,
भोपाल।

विषयः– 05 नवीन एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की स्वीकृति बावत्।

भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय के ज्ञापन क्रमांक 11015/16/13/2014–एस.जी.–1 दिनांक 26.9.14 द्वारा म0प्र0 राज्य के लिये 03 नवीन एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय तथा 02 विद्यालयों का उन्नयन कर एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में परिवर्तन हेतु वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है, जिसके आधार पर निम्नानुसार 05 नवीन एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों को संचालित करने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

03 नवीन एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय :–

क्र0	जिला	विकासखण्ड	स्थान का नाम
1	2	3	4
1	धार	धार	गरडावद
2	सीहोर	बुधनी	बांसपुर
3	सतना	मेहर	अरकण्डी (मेहर)

02 विद्यालयों का उन्नयन कर एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में परिवर्तन :–

क्र0	जिला	विकासखण्ड	स्थान का नाम
1	2	3	4
1	अलीराजपुर	चन्द्रशेखर आजाद नगर	सेजावाड़ा
2	बड़वानी	सेंधवा	जामली

2/ इन संस्थाओं के संचालन व प्रबंधन का दायित्व मध्यप्रदेश ट्रायबल वेलफेयर रेसीडेंशियल एण्ड आश्रम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सोसायटी, भोपाल को सौंपा जाकर संचालन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3/- संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त वाली अनुदान सहायता राशि में से समिति द्वारा विद्यालयों संचालन/प्रबंधन किया जायेगा ।

4/- भारत सरकार की मार्गदर्शिका अनुरूप भवन, स्टाफ, विद्यार्थियों दी जाने वाली सुविधाएं आदि व्यवस्थाएं की जाकर उच्चस्तर की सुनिश्चित की जावे ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(मीनाक्षी मालवीय)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
आदिम जाति कल्याण विभाग

क्रमांक एफ 3-1/2015/25-2/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि:-
1. संचालक, भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली ।
2. सचिव, म0प्र0 ट्रायबल वेलफेयर रेसीडेंशियल एण्ड आश्रम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सोसायटी, भोपाल ।
3. कलेक्टर, धार, सीहोर, सतना, अलीराजपुर, बड़वानी, म0प्र0 ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

13/3/2015

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
आदिम जाति कल्याण विभाग

13/3/15